



The Chhattisgarh Protection of Media Persons Act, 2023

Act No. 14 of 2023

Keywords:

Harassment, Intimidation, Violence, Public Servant

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 जून 2023 — ज्येष्ठ 12, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 2 जून 2023

क्र. 7072/डी. 59/21-अ/प्रारू./छ.ग./23. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 15-05-2023 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 14 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मि सुरक्षा अधिनियम, 2023.

विषय—सूची विवरणी

खण्ड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. मीडियाकर्मियों की पंजी.
4. मीडियाकर्मि के रूप में पंजीकरण हेतु अर्हतायें.
5. मीडियाकर्मियों के पंजीकरण हेतु प्राधिकरण.
6. मीडियाकर्मि के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन.
7. मीडियाकर्मियों की पंजी से पंजीयन का निरस्तीकरण, विलोपन और परिवर्तन.
8. छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता, संरक्षण एवं संवर्धन समिति.
9. समिति सदस्यों का वेतन, मानदेय, भत्ते एवं अन्य सुविधायें
10. समिति के उद्देश्य एवं कार्य
11. समिति की साधारण शक्तियां
12. शासन, समिति को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा.
13. अनुचित अभियोजन से सुरक्षा.
14. अपचार एवं शास्ति.
15. कम्पनी द्वारा अपचार.
16. झूठी शिकायत पर कार्यवाही
17. विविध.
18. यह अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करेगा.
19. इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी.

20. सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.
21. समिति के कृत्यों एवं अधिरोपित शास्त्र के विरुद्ध अपील
22. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.
23. नियम बनाने की शक्ति.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 14 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा अधिनियम, 2023.

छत्तीसगढ़ राज्य में मीडियाकर्मी के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान मीडियाकर्मियों के विरुद्ध हिंसा को रोकने तथा मीडियाकर्मियों या मीडिया संस्थानों की संपत्ति की क्षति या नुकसान होने से रोकने एवं इससे संबंधित और इसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

यतः, हिंसा का कार्य मीडियाकर्मियों के जीवन को क्षति या खतरा कारित करता है तथा मीडियाकर्मियों या मीडिया संस्थानों की संपत्ति की क्षति या नुकसान से राज्य में अशांति निर्मित हो सकती है;

और यतः, मीडियाकर्मियों के विरुद्ध हिंसा को रोकने तथा ऐसी हिंसक गतिविधियों से मीडियाकर्मियों या मीडिया संस्थानों की संपत्ति की क्षति या नुकसान होने से रोकने एवं इससे संबंधित और इसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करना आवश्यक हो गया है;

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | |
|-------------------------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. | 1. | (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा अधिनियम, 2023 कहलायेगा। |
| | | (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। |
| | | (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा। |
| परिभाषाएं. | 2. | इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— |
| | | (क) "समिति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत मीडियाकर्मियों की सुरक्षा |

हेतु गठित समिति; छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता, संरक्षण एवं संवर्धन समिति

- (ख) "आपात सुरक्षा उपाय" से अभिप्रेत है ऐसी त्वरित कार्यवाही, पहल और सुरक्षा उपाय जो किसी मीडियाकर्मी को उत्पीड़न, संत्रास अथवा हिंसा के खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा योजना बनाने के पूर्व ही आवश्यकतानुसार प्रदान की जावे।
- (ग) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
- (घ) "संचार मीडिया" से अभिप्रेत है संसूचना का कोई भी माध्यम, जिसका उपयोग नियमित रूप से जानकारी प्रदाय करने, विचार एवं मत प्रकट करने के प्रयोजन के लिए किया जाता हो, जिसमें मुद्रण माध्यम (प्रिन्ट मीडिया) यथा समाचार पत्र, पत्रिकायें और वृत्तपत्र, श्रव्य दृश्य माध्यम (ऑडियो-विजुअल मीडिया) जैसे आकाशवाणी (रेडियो), सामुदायिक आकाशवाणी (कम्युनिटी रेडियो), सेटलाइट टेलीविजन समाचार चैनल तथा समाचार पोर्टल; जो इस संबंध में शासन द्वारा बनाए गए नियमों के तहत पंजीकृत हो।
- (ङ) मीडिया स्थापन से अभिप्रेत है पंजीकृत समाचार पत्र स्थापना, समाचार चैनल स्थापना, समाचार आधारित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्थापना, समाचार आधारित स्थापना अथवा समाचार पोर्टल स्थापना जो सरकार

द्वारा बनाये किसी नियम-कानून के तहत विधिवत पंजीकृत हो, एवं जनसामान्य के लिये व्यावसायिक रूप से जानकारी संकलन, प्रसंस्करण एवं प्रसार तथा जनमत संग्रहण के कार्य में संलग्न हो

(च) "मीडियाकर्मी" से अभिप्रेत है मीडिया स्थापन का कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि और जिसमें शामिल है संपादक, लेखक, समाचार संपादक, उप संपादक, रूपक लेखक, प्रतिलिपि संपादक, संवाददाता, सम्पर्की, व्यंग्य चित्रकार, समाचार फोटोग्राफर, वीडियो पत्रकार, अनुवादक, शिक्षु/प्रशिक्षु मीडियाकर्मी, समाचार संकलनकर्ता अथवा स्वतंत्र पत्रकार, जो शासन के तत्समय में प्रभावशील मीडियाकर्मी अधिमान्यता नियमों के तहत स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिमान्यता हेतु अर्ह हो।

(छ) "समाचार संकलनकर्ता" से अभिप्रेत है प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें स्ट्रिंगर या अभिकर्ता भी शामिल है, जो नियमित रूप से समाचार या जानकारी का संकलन कर, किसी मीडियाकर्मियों अथवा मीडिया संस्थापनों को प्रेषण करता है;

(ज) "अधिमान्य पत्रकार" से अभिप्रेत है ऐसा मीडियाकर्मी जिसे समाचार अथवा जानकारी संकलन में सुविधा की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा तत्समय प्रचलित अधिमान्यता नियमों के

तहत अधिमान्यता प्रदान की गई हो।

- (झ) "मीडियाकर्मी, जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है" से अभिप्रेत है कोई भी पंजीकृत मीडियाकर्मी, जो अपने व्यावसायिक उत्तरदायित्व निर्वहन के कारण किसी व्यक्ति के कृत्यों के द्वारा उत्पीड़न, संत्रास या हिंसा के खतरे का सामना कर रहा है तथा उसके तकनीकी सहयोगी स्टॉफ, वाहन चालक, निर्वचक, बाह्य प्रसारण वैन संचालक तथा सभी अन्य व्यक्ति शामिल हैं, जो पंजीकृत मीडियाकर्मी से जुड़े होने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति के कृत्यों के द्वारा उत्पीड़न, संत्रास या हिंसा का सामना कर रहे हैं;
- (ञ) 'सुरक्षा योजना' से अभिप्रेत है ऐसी योजना, जो इस अधिनियम के अंतर्गत मीडियाकर्मी की सुरक्षा हेतु समिति द्वारा बनाई गई हो;
- (ट) 'सुरक्षा उपाय' से अभिप्रेत है ऐसे कृत्य, पहल और सुरक्षात्मक उपाय, जिसका उद्देश्य मीडियाकर्मी, जिसे सुरक्षा की आवश्यकता हो, को हिंसा, संत्रास या उत्पीड़न के खतरे से बचाने के लिये उठाया गया हो;
- (ठ) 'विहित' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विहित;
- (ड) **प्रताड़ना** : प्रताड़ना से अभिप्रेत है व्यावसायिक कार्य करने के फलस्वरूप किसी मीडियाकर्मी के विरुद्ध किया गया कोई भी शारीरिक अथवा मौखिक कृत्य जो उसे मानसिक या शारीरिक कष्ट दे तथा उसे व्यावसायिक दायित्वों के निर्वहन में बाधा

उत्पन्न करें।

(ढ) हिंसा : हिंसा से अभिप्रेत है किसी मीडियाकर्मी के व्यावसायिक दायित्वों के निर्वहन के फलस्वरूप उसके विरुद्ध किया गया शारीरिक हानि अथवा सम्पत्ति को नुकसान।

(ण) संत्रास : संत्रास का अर्थ वही होगा जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित किया गया हो।

(त) 'लोक सेवक' का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 में वर्णित है;

(ध) 'मीडियाकर्मी की पंजी' तथा 'पंजी' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत संधारित पंजी;

(न) 'पंजीकृत मीडियाकर्मी' तथा 'मीडियाकर्मी के रूप में पंजीकृत' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति।

मीडियाकर्मियों की पंजी. 3.

- (1) शासन, विहित रीति में, मीडियाकर्मियों की पंजी संधारित करेगा।
- (2) यह पंजी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 के अन्तर्गत एक लोक अभिलेख होगा।
- (3) इस पंजी का प्रकाशन, इस हेतु निर्धारित वेबसाइट में विहित रीति से किया जायेगा।
- (4) इस पंजी में किसी प्रकार के जोड़, विलोपन या सुधार की दशा में, उसे ऐसे किये जाने के तीस दिवस के भीतर, उक्त निर्णय की प्रभावशील तिथि

के साथ वेबसाइट में प्रदर्शित किया जायेगा।

- (5) ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अर्ह हो, मीडियाकर्मी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होगा।।

4. छत्तीसगढ़ में निवासरत एवं पत्रकारिता कर रहा ऐसा व्यक्ति, जिसे पत्रकारिता में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो तथा अधोलिखित शर्तों की पूर्ति करता हो, मीडियाकर्मी के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र होगा :-

मीडियाकर्मी के रूप में पंजीकरण हेतु अर्हतायें.

(क) ऐसा व्यक्ति, जिसका पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से मीडिया स्थापन द्वारा विगत तीन माह में समसामायिक घटनाओं पर न्यूनतम छः लेख/समाचार लेखक अथवा सहलेखक के रूप में उसके नाम से प्रकाशित हुये हों; अथवा

(ख) ऐसा व्यक्ति, जिसने विगत छः माह में किसी मीडिया स्थापन से समाचार संकलन के लिए न्यूनतम तीन भुगतान प्राप्त किया हो; अथवा

(ग) ऐसा व्यक्ति, जिसने समसामायिक घटनाओं पर फोटोग्राफ लिया हो, और जो मीडिया स्थापन द्वारा विगत तीन माह में न्यूनतम तीन बार प्रकाशित हुए हों; अथवा

(घ) ऐसा व्यक्ति, जिसे शासन द्वारा पत्रकार के रूप में अधिमान्यता प्राप्त हो अथवा ऐसा मीडियाकर्मी जो शासन के तत्समय में

प्रभावशील मीडियाकर्मी अधिमान्यता नियमों के तहत अधिमान्यता की अर्हता रखता हो।

(ड.) ऐसा व्यक्ति, जिसे मीडिया संस्थान ने उसे मीडियाकर्मी के रूप में अपने संस्थापन में कार्यरत होना प्रमाणित किया हो, जैसा कि इस अधिनियम की धारा 2 (ज) में परिभाषित है ;

परन्तु यह भी कि समाचार पत्र-पत्रिकाओं में लेख प्रकाशन के आधार पर कोई भी शासकीय अर्धशासकीय/निगम/मंडल/निकाय अथवा शासन द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्त पोषित संस्था के अधिकारी/कर्मचारी मीडियाकर्मी के रूप में पंजीयन के लिये अर्ह नहीं होगा।

मीडियाकर्मियों के पंजीकरण हेतु प्राधिकरण.

5. (1) मीडियाकर्मियों के पंजीकरण के लिए मीडिया कर्मियों की सुरक्षा हेतु गठित समिति, पंजीकरण प्राधिकरण का कार्य करेगा।
- (2) प्राधिकरण निम्नलिखित पर निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी :-
 - (क) मीडियाकर्मी के रूप में पंजीकरण हेतु प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों पर;
 - (ख) मीडियाकर्मी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति के नवीनीकरण आवेदन पत्रों पर;
 - (ग) पंजी में जोड़, विलोपन अथवा परिवर्तन के सम्बन्ध में।
- (3) प्राधिकरण, नियमों में किये गये प्रावधानानुसार तथा प्रत्येक तीन माह में कम-से-कम एक बार

अनिवार्य रूप से बैठक करेगा।

- (4) इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण, जैसा कि इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, के अलावा कोई भी लाभ अथवा हक प्रदान नहीं करेगा।

6. (1) शासन इस अधिनियम के तहत निर्मित नियमों के अन्तर्गत मीडियाकर्मियों के पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त करने, आवेदन पर निर्णय एवं प्राधिकरण के निर्णय से मीडियाकर्मियों को अवगत कराने की प्रक्रिया निर्धारित करेगा।
- (2) ऐसे प्रत्येक मीडियाकर्मियों, जिनका आवेदन स्वीकार किया गया हो, उन्हें विहित रीति में पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- (3) यह पंजीयन, अधिमान्य मीडियाकर्मियों के लिये पंजीयन तिथि से दो वर्ष की अवधि तथा अन्य मीडियाकर्मियों के लिये एक वर्ष की अवधि के लिये वैध होगा और उसका नवीनीकरण इतनी ही अवधि के लिए कराया जा सकेगा;

यदि नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि को, मीडियाकर्मियों, धारा 4 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु अर्हता रखता हो।

- (4) किसी भी मीडियाकर्मियों को स्वमेव पंजीकरण नवीनीकरण का अधिकार नहीं होगा।

7. (1) प्राधिकरण, किसी भी व्यक्ति का पंजीयन निरस्त कर सकेगा और पंजी से उसका नाम विलोपित कर सकेगा, जहां वह ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचता है

मीडियाकर्मियों के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन.

मीडियाकर्मियों की पंजी से पंजीयन का निरस्तीकरण, विलोपन और परिवर्तन.

कि इस प्रकार के पंजीकरण में त्रुटि थी अथवा पंजीयन तथ्यों को छिपाकर, असत्य रूप में अथवा छलपूर्वक प्रस्तुत कर कराया गया है।

- (2) पंजीयन निरस्त करने और पंजी से नाम हटाने की कार्यवाही, स्व-विवेक से या विचार-योग्य विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होने पर की जा सकेगी;

परन्तु यह कि इस तरह की कार्यवाही, संबंधित मीडियाकर्मी को विहित रीति से सूचित किए बिना और सुनवाई का अवसर दिये बिना, नहीं की जा सकेगी। जॉच का निष्कर्ष आने तक पंजीयन अस्थई रूप से निलम्बित रखा जायेगा।

छत्तीसगढ़ मीडिया
स्वतंत्रता, संरक्षण एवं
संवर्धन समिति

8. (1) इस अधिनियम के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के नब्बे दिवस के भीतर, शासन, मीडियाकर्मियों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन करेगा, जो मीडियाकर्मियों, जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, की प्रताड़ना, धमकी या हिंसा या गलत तरीके से अभियोग लगाने और उनको गिरफ्तार करने संबंधी शिकायतों का निराकरण करेगी। यह समिति छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता, संरक्षण एवं संवर्धन समिति के नाम से जानी जायेगी।

- (2) समिति का गठन निम्नानुसार होगा :-

(क) सेवानिवृत्त प्रशासनिक/पुलिस सेवा का अधिकारी जो शासन में सचिव स्तर से निम्न न हो ; अध्यक्ष

(ख) गृह विभाग द्वारा नामित अभियोजना शाखा

का अधिकारी जो संयुक्त संचालक से अन्यून न हो।

(ग) शासन द्वारा नामित शासकीय सेवक जो अपर संचालक पद से अन्यून न हो ; सदस्य सचिव

(घ) तीन मीडियाकर्मी, जिन्हें पत्रकारिता में निरन्तर दस वर्षों से अधिक का अनुभव हो तथा उनमें कम से कम एक महिला हो; सदस्य

परन्तु यह कि नामित मीडियाकर्मी, इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत होना चाहिए ;

परन्तु यह और कि समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और कोई भी मनोनीत सदस्य इस समिति में निरन्तर एक से अधिक अवधि के लिए मनोनीत नहीं किया जा सकेगा।

- | | | |
|-----|---|--|
| 9 | समिति के सदस्यों के परिलब्धियों/मानदेय तथा अन्य किन्हीं सुविधाओं का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जायेगा। | समिति सदस्यों का वेतन, मानदेय भत्ते एवं अन्य सुविधायें |
| 10. | <p>(1) समिति के गठन का उद्देश्य संचार माध्यम के स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाये रखना और मीडियाकर्मियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए संचार माध्यम के गुणवत्ता को बेहतर बनाना होगा।</p> <p>(2) समिति अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगी, अर्थात्:-</p> <p>(क) मीडियाकर्मियों को उनके व्यवसायगत प्रताड़ना, संत्रास, उत्पीड़न, हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना।</p> <p>(ख) अन्य ऐसे दायित्वों का निर्वहन जो शासन द्वारा समय-समय पर सौंपे जाये।</p> | समिति के उद्देश्य एवं कार्य |

- समिति की साधारण शक्तियां 11
- इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन या कोई जांच करने के प्रयोजन के लिए परिषद् को निम्नलिखित बातों के बारे में सम्पूर्ण भारत में वे ही शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निहित हैं, अर्थात् :-
- (क) व्यक्तियों को समन करना और हाजिर कराना तथा उनकी शपथ पर परीक्षा
- (ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उनका निरीक्षण
- (ग) साक्ष्य का शपथ पर लिया जाना
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपियों की अध्यपेक्षा करना
- (ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना
- (च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।
- शासन समिति को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा. 12.
- (1) सभी शासकीय प्राधिकरणों और शासन द्वारा नियोजित व्यक्ति समिति द्वारा मांगी गयी सभी जानकारी प्रदान करेंगे, सिवाय उस सूचना के जिन्हें विधि द्वारा प्रकटीकरण से संरक्षण प्राप्त है।
- (2) शासन इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई समिति के कार्य सम्पादन में यथावश्यक सहायता प्रदान करेगा।
- (3) समिति द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई सुरक्षा योजना तथा आपात् सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को किया जायेगा, जो प्रचलित

अधिनियम/नियम/निर्देश के उपयुक्त प्रावधानों के प्रकाश में यथोचित निर्णय लेगा।

13. (1) जहां समिति का प्रथमदृष्टया मत है कि –
- (क) सुरक्षा चाहने वाले मीडियाकर्मी के विरुद्ध आरोप, या जाँच के सम्बन्ध में आवश्यक है; या,
- (ख) पूर्व से जारी जाँच, अन्वेषण या परीक्षण के विरुद्ध सुरक्षा चाहने वाले मीडियाकर्मी के द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त शिकायत की प्रकृति में आवश्यक है; या,
- (ग) उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री की से आवश्यक है;

अनुचित अभियोजन से सुरक्षा.

तो समिति संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को जाँच का पर्यवेक्षण एवं 15 दिवस के भीतर जाँच प्रतिवेदन सौंपने के निर्देश दे सकेगी।

- (2) यदि सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक जाँचोपरान्त जिला अभियोजन अधिकारी के परामर्श से यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रकरण अभियोजन वापसी योग्य है तो वह इसकी अनुशंसा समिति को कर सकेगा, जो अभियोजन वापसी हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के अनुरोध के साथ जाँच प्रतिवेदन राज्य शासन को अग्रेषित करेगी।

14. (1)(अ) यदि कोई लोक सेवक, इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों की जानबूझकर अवहेलना करता है, तो ऐसे लोक सेवक का कृत्य उस पर लागू आचरण नियमों की अवहेलना मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम अथवा लागू अन्य नियम के तहत विभागीय जाँच उपरांत नियमानुसार उपयुक्त

अपचार एवं शास्ति.

शास्ति से दण्डित किया जा सकेगा।

- (ब) यदि किसी मीडियाकर्मी के संत्रास, प्रताड़ना अथवा हिंसा का कारण कोई निजी व्यक्ति है तो समिति प्रकरण के परीक्षणोंपरांत एवं उभय पक्ष की सुनवाई पश्चात् रूपए 25 हजार के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित कर सकेगी, जो बकाया भू-राजस्व की तरह वसूली योग्य होगा।
- (2) जो कोई, इस अधिनियम के अधीन मीडियाकर्मी के रूप में पंजीयन के लिये पात्र व्यक्ति के पंजीकरण में सक्रिय रूप से अथवा किसी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करता है या रोकने का प्रयास करता है, तो समिति उभयपक्षों की सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसे रुपये पच्चीस हजार तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगी, जो बकाया भू-राजस्व की तरह वसूली योग्य होगा।
- (3) उप-धारा (1) एवं (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण के किसी सदस्य के विरुद्ध उसके शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में उसके द्वारा की गई या किये जाने के लिए आशायित किसी भी कृत्य के लिए, इस धारा के अधीन कोई भी शास्ति के लिये दायी नहीं बनाया जायेगा, यदि वह यह साबित करता है कि अपचार उसकी जानकारी के बिना घटित हुआ है अथवा अनाजाने में हुआ है।

कंपनी द्वारा अपचार.

15. (1) यदि किसी मीडियाकर्मी के संत्रास, प्रताड़ना

अथवा हिंसा का कारण कोई कम्पनी है तो समिति प्रकरण के परीक्षणोंपरांत एवं उभय पक्ष की सुनवाई पश्चात् रूपए 10 हजार के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित कर सकेगी। ;

परन्तु यह कि इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी व्यक्ति को शास्ति के लिये दायी नहीं बनायेगा, यदि वह यह साबित करता है कि अपचार, बिना उसकी जानकारी के घटित हुआ है अथवा उसने, ऐसे अपचार को घटित होने से रोकने के लिए, अपने स्तर पर सभी यथोचित प्रयास किये थे ;

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति, केन्द्र शासन या राज्य शासन में नियोजित होने या उसके द्वारा कोई पद धारण करने के कारण किसी कम्पनी के संचालक के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाता है या यथास्थिति, केन्द्र शासन या राज्य शासन के स्वामित्व के या उसके नियंत्रणाधीन कोई वित्तीय संस्थान है, तो ऐसी स्थिति में वह इस धारा के अधीन शास्ति के लिये दायी नहीं होगा।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपचार कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित हो जाता है कि यह अपचार कंपनी के किसी संचालक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ

हैं तो, ऐसी स्थिति में ऐसा संचालक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपचार के दोषी माने जायेंगे तथा वे अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित किये जाने के लिये दायी होंगे।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ,—

(क) 'कम्पनी' से अभिप्रेत है कोई निगमित निकाय तथा इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगठन सम्मिलित है; तथा

(ख) फर्म के संबंध में 'संचालक' से अभिप्रेत है फर्म का भागीदार।

परन्तु यह भी कि समिति के समक्ष विचाराधीन किसी शिकायत प्रकरण पर, यदि उसी शिकायत पर, विधि अनुसार सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया जा कर विवेचना में लिया जाता है, उस स्थिति में, समिति द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

झूठी शिकायत पर
कार्यवाही

16.

इस आशय की मिथ्या इत्तला देना कि समिति का कोई सदस्य अथवा कोई लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिये करे :- जो कोई अपने पंजीकृत मीडियाकर्मी होने की हैसियत से उसे इस अधिनियम में प्राप्त संरक्षण का दुरुपयोग करने के लिये समिति को ऐसी इत्तला जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, इस आशय से देगा कि समिति या उसका कोई सदस्य अथवा लोक

सेवक को प्रेरित करे या यह संभाव्य जानते हुए देगा कि वह उसको प्रेरित करेगा कि समिति/सदस्य अथवा लोक सेवक :-

- (क) कोई ऐसी बात करे या करने का लोप करे जिसे उस संबंध में, जिसके बारे में इत्तला दी गई है, तथ्यों की सही स्थिति का पता होता तो न करता या करने का लोप न करता, अथवा
- (ख) ऐसे समिति/सदस्य अथवा लोक सेवक विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करे जिस उपयोग से किसी व्यक्ति को क्षोभ या क्षति हो, तो ऐसी स्थिति में ;

यदि समिति शिकायत की जाँच में शिकायत झूठी पाती है तो, वह मीडियाकर्मी, प्रथम बार पंजीयन निरस्त किये जाने एवं द्वितीय बार समिति द्वारा अधिकतम रुपये दस हजार तक की शास्ति से दण्डित किया जा सकेगा।

17. (1) समिति में मीडियाकर्मी, पंजीकृत मीडियाकर्मियों में से राज्य शासन द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।
- (2) इस अधिनियम के अधीन मनोनीत व्यक्ति को शासन द्वारा साबित कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकेगा।
- (3) इस अधिनियम के अधीन गठित समिति एक मत

विविध.

से निर्णय लेने का प्रयास करेंगे;

परन्तु यह कि जहां इस अधिनियम के अधीन गठित समिति एक मत से निर्णय नहीं ले पाते, तो निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जायेगा।

- (4) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के दायित्वों के निर्वहन में संभावित रुचि के टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वह संबंधित निकाय के अध्यक्ष, संयोजक या सदस्य-सचिव को सूचित करेगा और प्रश्नाधीन प्रकरण के निर्णय में कोई भाग नहीं लेगा अन्यथा ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आने पर समिति द्वारा लिया गया निर्णय समिति अथवा शासन द्वारा अक्षम एवं शून्य माना जायेगा।
- (5) शासन एक वेबसाइट संधारित करेगा, जिसमें पंजीकृत मीडियाकर्मियों, पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनपत्रों पर लिये गये निर्णय, प्राप्त शिकायत, शिकायत पर की गई कार्यवाही, निर्णय आदि की जानकारी दर्ज की जायेगी।

यह अधिनियम किसी अन्य
विधि का अल्पीकरण नहीं
करेगा.

18.

इस अधिनियम के प्रावधान, किसी अन्य विधि के प्रावधानों, नियम, नीतिगत निर्णय, निर्देश, परिपत्र या शासकीय ज्ञापन, जो मीडियाकर्मियों के लाभ के लिए बनाये गये हैं अथवा मीडियाकर्मियों को कानून से बेहतर सुरक्षा देने के लिए बनाये गये हैं,

के अतिरिक्त होंगे, उनके अल्पीकरण में नहीं।

19. शासन, इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और इस अधिनियम के अधीन की गई शिकायतों, प्राप्त सूचनाओं और किये गये कार्यों के आंकड़ों को एकत्र करेगा और संधारित रखेगा।
- इस अधिनियम के कार्यान्वयन के निगरानी.
20. इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के लिये शासन या शासन के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.
21. समिति द्वारा अधिरोपित शास्ति या उसके किसी अन्य कृत्य के विरुद्ध नियमों में की गई विहित प्रक्रिया के तहत शासन द्वारा इस हेतु नामित प्राधिकारी को अपील की जा सकेगी।
- समिति की शास्ति एवं कृत्यों के विरुद्ध अपील
22. (1) अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो शासन, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सकेगा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, और जो कठिनाई को दूर करने के लिये समय-समय पर आवश्यक प्रतीत होता हो ;
- कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.
- परन्तु यह भी कि इस अधिनियम के लागू होने के तीन वर्ष बाद ऐसे कोई भी आदेश जारी नहीं किये जा सकेंगे।

- (2) इस धारा के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश को छत्तीसगढ़ विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा।
- नियम बनाने की शक्ति. 23. (1) शासन, इस अधिनियम के लागू होने के छः माह के भीतर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।
- (2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम में निम्नलिखित में से एक या अनेक के लिए उपबंध किये जा सकेंगे, अर्थात्:-
- (क) समिति सदस्यों की मनोनयन प्रक्रिया;
- (ख) मीडियाकर्मी के रूप में पंजीयन के लिए प्रारूप;
- (ग) मीडियाकर्मी के पंजीयन का प्रारूप और दर्ज किए जाने वाले विवरण;
- (घ) पंजीयन के लिए आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के निर्णय को संसूचित करने का तरीका;
- (ङ) सदस्यता पंजीयन को रद्द करने के पूर्व सूचना का प्रारूप;
- (च) समिति द्वारा सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश के साथ साथ सुरक्षा उपाय के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तथा/या आपातकालीन सुरक्षा उपाय;
- (छ) मीडियाकर्मी की शिकायत पंजीकरण करने का आवेदन पत्र प्रारूप
- (ज) मीडियाकर्मी की शिकायत को स्वीकार करने, अस्वीकार करने अथवा निराकरण करने की प्रक्रिया तथा सूचना प्रारूप
- (झ) शिकायत जाँच करने की विधि एवं प्रक्रिया
- (ञ) इस अधिनियम के उचित प्रवर्तन के लिए आवश्यक कोई अन्य मामला।

- (3) इस अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों को शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के 12 माह के भीतर छत्तीसगढ़ विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

अटल नगर, दिनांक 2 जून 2023

क्र. 7072/डी. 59/21-अ/प्रारू./छ.ग./23. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 02-06-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

**CHHATTISGARH ACT
(No. 14 of 2023)**

**CHHATTISGARH PROTECTION OF MEDIA PERSONS
ACT, 2023.**

TABLE OF CONTENTS

Sections.	Particulars
1.	Short title, extent and commencement.
2.	Definitions.
3.	Register of Media persons.
4.	Eligibility for registration as a media person.
5.	Authority for the registration of Media persons.
6.	Application for registration as a Media person.
7.	Cancellation of registration, deletion, and alteration in the register of Media persons.
8.	Chhattisgarh Media Freedom, Protection and Promotion Committee.
9.	Pay, Honorarium, allowances and other facilities to the Committee members.
10.	Objective and Functions of the Committee
11.	General powers of the Committee
12.	Government to provide all necessary assistance to the committee.
13.	Protection from unfair prosecution.
14.	Offences and penalties.
15.	Offences by companies.
16.	Action against false complaint
17.	Miscellaneous.
18.	Act not in derogation of any other law.

19. Monitoring of the implementation of this Act.
20. Protection of action taken in good faith.
21. Appeal against penalties and action of committee.
22. Power to remove difficulties.
23. Power to make rules.

CHHATTISGARH ACT
(No. 14 of 2023)
CHHATTISGARH PROTECTION OF MEDIA PERSONS
ACT, 2023.

An Act to provide for the prevention of violence against Media Persons while carrying out their duties as Media Persons and prevention of damage or loss of property of Media Persons or Media Institutions in the State of Chhattisgarh and for matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas acts of violence causing injury or danger to life of Media Persons and damage or loss to the property of Media Persons or Media Institutions which may create unrest in the State;

And Whereas it has become necessary to provide for the prevention of violence against Media Persons and prevention of damage or loss of property of Media Persons or Media Institutions from such violent activities, and for the matters connected therewith or incidental thereto;

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Third Year of the Republic of India, as follows :-

**Short title, extent
and
commencement.**

1. (1) This bill may be called the Chhattisgarh Protection of Media persons Act, 2023.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2.

In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

- (a) “**Committee**”, means the Committee for Protection of Media persons constituted under provisions of Section 8 of this Act; Chhattisgarh Media freedom, Protection and Promotion Committee.
- (b) “**Emergency Protection Measures**” means immediate actions, initiatives and security measures to deal with harassment, intimidation or violence against a media person, who requires Protection as per necessity before a Protection Plan can be formulated.
- (c) “**Government**” means the Government of Chhattisgarh;
- (d) “**Mass Media**” means any means of communication used regularly for purposes of dissemination of information and expression of views and opinions, including, print media such as newspapers, magazines and journals; audio-visual media, such as radio, community radio, satellite television news channels and news

portals registered under any rules & regulations framed by the Government.

- (e) "**Media Institution**" means any Newspaper Establishment, News Channel Establishment, News-based Electronic Media Establishment or News Station Establishment or, news portal establishments registered under any rules and regulations framed by the Government and are professionally engaged in the collection, processing and dissemination of information, views & opinion to the public as well as collection and communication of public opinion;
- (f) "**Media person**" - an employee or representative of a Media Establishment and includes an editor, a writer, news editor, sub-editor, feature writer, copy-editor, reporter, correspondent, cartoonist, news-photographer, video journalist, translator, intern/trainee media person and news gatheres or a freelance journalist eligible to be accredited as freelance journalist under prevailing media person accreditation rules of the Government.

- (g) **“News gatherer”**, means every person, including a stringer or an agent, regularly involved in collecting and forwarding news or information to Media persons or Media Establishments;
- (h) **“Accredited Journalist”** means a media person who is accredited by the State Government under prevailing accreditation rules with a purpose to facilitate the collection of news/information.
- (i) **“Media Person Who Requires Protection”** means any Registered Media person facing threats of harassment, intimidation or violence while discharging his professional duties and his technical support staff, drivers, interpreters, Outside Broadcasting Van operators and all other persons facing threats of harassment, intimidation or violence by act of a person on account of their connection with the Registered Media person;
- (j) **“Protection Plan”** means a plan formulated by the committee for protection of the mediaperson;
- (k) **“Protection Measures”** means

actions, initiatives and security measures aimed at dealing with threats of violence, intimidation or harassment to a Media Person Who Requires Protection;

(l) “**Prescribed**” means prescribed by rules made under this Act;

(m) **Harassment** – Harassment means any action, physical or verbal, against a media person discharging his professional duties, that may cause physical or mental distress to him, which, hinders or obstructs him, from performing his professional duties.

(n) **Intimidation** - As defined in the Indian Penal Code.

(o) **Violence** – Violence means physical harm or attempted physical harm to media persons or their property as a consequence of discharging their professional duties.

(p) “**Public Servant**” shall have the same meaning as **defined** in Section 21 of the Indian Penal Code, 1860;

(q) “**Register of Media persons**” and “register” means a register maintained in terms of Section 3 of this Act;

(r) “**Registered Media person**” and “registered as a Media person” means every person registered under Section

3 of this Act.

3. (1) Government shall maintain a Register of **Register of Media persons.** Media persons in the prescribed manner
- (2) The Register shall be a public document under Section 74 of the Indian Evidence Act, 1872.
- (3) The Register shall be published on the website in the manner prescribed for this purpose
- (4) Additions, deletions or alterations to the Register along with the effective date of such decision shall be reflected on the website within thirty days from the date of decision
- (5) Every person who is eligible under Section 4 of this Act shall be eligible for registration as a Media person.
4. Persons, residing and practising journalism in Chhattisgarh, and having at least one year of experience in journalism and fulfilling the below mentioned conditions shall be eligible for registration as a Mediaperson:
- a. a person with at least six

Eligibility for registration as media person.

- articles/news related to current affairs affiliated to or authored or co-authored on his name has been published by media institution in the preceding three months from the date of application for such registration; or
- b. person who has received at least three payments from Media institution for compilation of news in the preceding six months; or
 - c. person who has taken photographs related to current affairs that have been published by media institution at least three times in the preceding three months; or
 - d. person accredited by the Government as a journalist; or a media person fulfilling the eligibility criteria for accreditation as journalist as per prevailing media person accreditation rules of the Government.
 - e. person certified by a Media Institution as being employed by it as a Media person as defined in section 2 (j) of this Act.

Provided that no employee of government/ semi government/ board/corporation/organisations which are wholly or partially funded

by the government can claim for registration as media person on the basis of publication of their articles in newspapers or magazines

5. (1) The committee constituted for the protection of the media person shall act as the authority for registration of media persons.
- (2) The Authority shall be competent to take a decision on:-
- (a) all applications received for registration as a Media person,
- (b) all applications for renewal of registration as a Media person, and,
- (c) additions, deletions or alterations entries in the Register.
- (3) The Authority shall meet in accordance with the prescribed rules and convene a meeting at least once every three months compulsorily.
- (4) Registration under this Act will not confer any benefits or entitlements other than those expressly provided in this Act.
6. (1) The Government shall, under rules framed under this act, prescribe the procedure for

Authority for the registration of Media persons.

Application for registration as Media person.

application to register as Media person, decision of the authority on the application and communication of authority's decision to the media person.

- (2) Every media person whose application for registration has been accepted shall be given a registration number, in the manner prescribed
- (3) Such registration shall be valid for two years from the date of registration for accredited media persons and one year for non accredited media persons and shall be renewable for the same period.

Provided that the Media person qualifies for registration under Section 4 on the date of the application for renewal

- (4) No media person shall have the right of automatic renewal of registration.

Cancellation of registration, deletion, and alteration in the register of Media persons.

7. (1) The Authority shall have the power to cancel the registration of a media person and strike-off his/her name from the Register if, it comes to the conclusion, that the registration was erroneous or was done as a result of material mis-representation, suppression of facts or fraud.

- (2) Action to cancel registration and delete names from the Register may be taken suo moto or on the basis of credible information received:

Provided that no such action shall be taken without giving notice and opportunity of hearing to the concerned Media person in the manner prescribed. Registration shall be provisionally suspended till conclusion of enquiry.

8. (1) The Government shall, within Ninety days, of the notification of this Act in the Official Gazette, constitute a Committee, for the Protection of Media persons who require protection, and, to deal with complaints of harassment, intimidation or violence, or unfair prosecution and arrests of media persons. This committee shall be known as Chhattisgarh Media freedom, Protection and Promotion Committee.

**Chhattisgarh
Media freedom,
Protection &
Promotion
Committee**

- (2) The Committee shall comprise of: –

(a) Retired officer of Administrative/Police Service, and not below the rank of secretary in the Government ; Chairperson.

(b) Officer of Prosecution wing nominated

by home department, not below the rank of joint director

(c) A Government Servant, not below the rank of Additional Director, nominated by the Government ; member secretary

(d) Three Media persons having more than ten years of continuous experience in the field of journalism, of whom atleast one shall be a woman.

Provided that, such nominated Media persons are registered under this Act;

Further provided that, the tenure of the Committee will be for three years and no member shall be nominated to the Committee for two consecutive terms.

**Emoluments ,
Honorarium
allowances and
other facilities
of committee
members.** **9**

The emoluments, allowances/honorarium and other facilities to the committee members shall be determined by the Government.

- 10.** (1) The objective of formation of the committee shall be to upkeep the freedom and maintain and improve the standard of mass media by providing protection to mediapersons_
- (2) The Committee may, in furtherance of its objectives, perform the following functions, namely:—
- (a) to provide protection to the Media Persons against harrassment, intimidation or violence related with their profession.
- (b) any other responsibilities assigned by the Government from time to time.
- Objective and Functions of the Committee**
- 11** For the purpose of performing its functions or holding any inquiry under this Act, the Committee shall have the same powers throughout the state as are vested with the civil court while trial of a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters, namely:—
- (a) summoning and enforcing the attendance of persons and examining them on oath;
- (b) Disclosure and inspection of documents;
- (c) receiving evidence on affidavits;
- (d) requisitioning any public record or
- General powers of the Committee**

copies thereof from any court or office;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents; and

(f) any other matter, which may be prescribed.

Government to provide all necessary assistance to the committee.

12.

(1) All Government authorities and persons employed by the Government shall provide with all information called for by the Committee unless the information is protected from disclosure by law.

(2) The Government shall provide all necessary assistance to the Committee in discharging its duties.

(3) The committee shall have the power to recommend emergency protection measures and protection plan to the Superintendent of Police of the district concerned who inturn will take appropriate decision as per extant provisions of prevailing Act/Rules/Regulations.

Protection from unfair prosecution.

13.

(1) Where the Committee is prima facie of the view that it is necessary:

a. For allegations or investigations against a mediaperson demanding protection, **or,**

b. In relation to an ongoing investigation, inquiry or trial involving a mediaperson demanding protection;

or,

c. the material produced before it otherwise required ;

it shall direct the Superintendent of Police of district concerned to supervise the investigation and submit a report within 15 days.

(2) If the district superintendent of Police, in consultation with the district prosecution officer, is of the opinion that the case is fit for withdrawal from prosecution, it shall recommend the same to the committee which in turn shall forward its report to the State Government requesting to take necessary action for withdrawal of prosecution.

14 (1)(a) Whoever, being a public servant, wilfully neglects his duties under this Act or the rules made under this Act, shall be considered to be in violation the of conduct rules governing them and shall punishable by the State Government for misconduct after proper departmental inquiry under chhattisgarh civil services (classification, control & appeal) Rule 1967 or any other rule and may be awarded suitable punishment under the said rules after due opportunity of hearing.

Offences and penalties.

- (b) If the person behind harrasment, intimidation or violence is a private individual, the Committee after examination of complaint and providing opportunity of hearing to both the parties shall be punished with the penalty which may extend to twenty five thousand Rupees which shall be recoverable as an arrear of land revenue;
- (2) Whoever prevents or obstructs, actively or in any way, the registration of a person entitled to registration as a Media person under this Act after providing opportunity of hearing to both the parties shall be punished by the committee with penalty which may extend to Twenty Five thousand rupees which shall be recoverable as an arrear of land revenue
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and (2), no punishment shall be made against any member of the Authority under this Section for anything done or purported to be done by them in the discharge of his official duties;

Provided, nothing contained in this section shall render any person liable to punishment if he proves that the misconduct was committed with out his

knowledge or was done inadvertently

15. (1) If the person behind harrasment, intimidation or violence is a company the Committee after examination of complaint and providing opportunity of hearing to both the parties shall be punished with the penalty which may extend to ten thousand Rupees.

Offences by companies.

Provided that, nothing contained in this section shall render any person liable to punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence:

Provided further that, where a person is nominated as a Director of a company by virtue of his holding any office or employment in the Central Government or State Government or a financial corporation owned or controlled by the Central Government or the State Government, as the case may be, he shall not be liable for punishment under this Section.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any misconduct under this Act has been committed by a company and it is proved that the misconduct has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that misconduct and shall be liable to be proceeded against and punished.

Explanation.—For the purposes of this section,—

- (a) “Company” means any corporate body and includes a firm or other association of individuals; and
 (b) “Director”, in relation to a firm, means a partner in the firm.

Provided further that, for any complaint being heard by the committee, and if, for the same complaint, any First Information Report is registered under relevant provisions of any act and taken under investigation, the committee shall not take any punitive action.

Action against false complaint 16.

False information, with intent to cause public servant as any other member of the committee to use his lawful power to the injury of another person :- if a registered media person misuses protection provided

under this act, to give to member of committee or any public servant any information which he knows or believes to be false, intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, such member of committee or public servant

(a) to do or omit anything which such member of committee or public servant ought not to do or omit if the true state of facts respecting which such information is given were known by him, or

(b) to use the lawful power of such member of committee or public servant to the injury or annoyance of any person,

Committee on investigating the complaint finds it false, such media person shall be punished by Committee by cancellation of registration for first time and for second time with fine which may extend to ten thousand rupees .

- 17** (1) Media persons shall be nominated to the Committee from the registered Media persons by the state Government
- (2) Persons nominated under this Act shall be removed by the Government on the basis of proved misbehaviour or incapacity.
- (3) All Bodies constituted under this Act shall endeavour to take all decisions unanimously:

Miscellaneous.

Provided that, where bodies constituted under this Act are unable to reach unanimity, decisions shall be taken by the majority.

- (4) Where potential conflict-of-interest arises in a person's discharge of obligations under this Act, he shall inform the chairperson, convener or member secretary of the body concerned and take no further part in the decision in question. All the decisions taken by the committee will be null and void if any incidence of such nature comes to knowledge of the committee or the Government
- (5) The Government shall maintain a website which will contain information regarding registered media persons, applications received for registration and decision taken, complaints received, action taken on complaint and decision of the committee etc.

**Act not in 18.
derogation of
any other law.**

The provisions of this Act shall be in addition to and not in contravention of the provisions of any other law, rule, regulation, policy decision, instruction, circular or office memorandum operating

for the benefit of Media persons or providing better standards for the protection of Media persons than provided under this Act.

- 19.** The Government shall monitor the implementation of this Act and shall gather and maintain data on complaints made, information received, and actions taken under this Act. **Monitoring of the implementation of this Act.**
- 20.** No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or any officer or authority of the Government or any other person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act. **Protection of action taken in good faith.**
- 21.** Appeal against penalties and any other action of the committee shall be made to the prescribed authority designated by the Government for this purpose. **Appeal against penalties and action of the Committee**
- 22.** (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty. Provided that no such order shall be made under this section after expiry of three years from the commencement of this Act. **Power to remove difficulties.**

(2) Every such order made under this section shall be tabled before the legislative assembly.

Power to make rules.

23. (1) The Government may, within six months from the enactment of the Act, by notification in the Official Gazette, prescribe Rules for enforcing the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such Rules may provide for all or any of the following matters, namely,—

(a) Nomination Process of committee members;

(b) Form for Registration as a Media person;

(c) Form of Register of Mediaperson and details to be stipulated;

(d) Manner of communication of the decision to accept or reject applications for registration;

(e) Form of notice before cancelling registration of membership;

(f) Guidelines for the formulation of Protection Plan by the committee, with standard operating procedures for protection measures and/or emergency protection measures.

- (g) Application format for registering complaint from media person.
 - (h) Process and format for accepting, rejecting or resolving the complaint from media person.
 - (i) Process and Procedure for conducting enquiry.
 - (j) Any other matter necessary for the proper enforcement of this Act.
- (3) Rules framed under this act shall be tabled before the legislative assembly not later than 12 months from their publication in the Official Gazette